# झारखण्ड विधान सभा

## तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा
त्रयोदश(बजट)–सत्र
वर्ग–2

06 फाल्गुन,1935(श0)
निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक ————————को
25 फरवरी,2014 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्रमांक | विभागों को संसूचित की सं0संख्या | सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 10 | मास– 39 | श्री प्रदीप यादव | भवन एवं शिक्षक उपलब्ध कराना | मानव संसाधन विकास | 18.02.2014 |
| 11 | व – 02 | श्री जगरनाथ महतो | प्रभावितों को मुआवजा दिलाना | वन एवं पर्यावरण | 16.02.2014 |
| 12 | वि0प्र0– 03 | श्री सौरभ नारायण सिंह | इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना | विज्ञान एवं प्रावैधिकी | 16.02.2014 |
| 13 | मास –29 | श्री निजामुद्दीन अंसारी | स्टेडियम का निर्माण | कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य | 17.02.2014 |
| 14 | मास–31 | श्री अरविन्द कु0 सिंह | शौचालय एवं चाहरदीवारी बनवाना | मानव संसाधन विकास | 17.02.2014 |
| 15 | मास–26 | श्री माधवलाल सिंह | स्टेडियम का निर्माण | कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य | 17.02.2014 |
| 16 | व– 04 | श्री हेमलाल मुर्मू | कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई | वन एवं पर्यावरण | 16.02.2014 |
| 17 | ख–08 | श्री बड़कुवार गागराई | अवैध खनन् रोकना | खनन् एवं भूतत्व | 18.02.2014 |
| 18 | ख–01 | श्री उमाकान्त रजक | कैटलगार्ड कर्मी को लाभ मुहैया कराना | खनन् एवं भूतत्व | 16.02.2014 |
| 19 | मास– 34 | श्री विद्युत वरण महतो | स्टेडियम का निर्माण | कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य | 17.02.2014 |
| 20 | मास–05 | श्री जगरनाथ महतो | उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 21 | ख–07 | श्री विद्युत वरण महतो | पदाधिकारी का पदस्थापन | खनन् एवं भूतत्व | 17.02.2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ख–02 | श्री लक्ष्मण गिलुवा | उद्योग लगाना | खनन् एवं भूतत्व | 16.02.2014 |
| 23 | व–05 | श्री संजय कुमार सिंह यादव | वृक्षारोपन कराना | वन एवं पर्यावरण | 17.02.2014 |
| 24 | मास–01 | श्री अनन्त प्रताप देव | विद्यालयों को +2 का दर्जा दिलाना | मानव संसाधन विकास | 14.02.2014 |
| 25 | मास– 02 | श्री अनन्त प्रताप देव | नव प्राथमिक विद्यालय की स्थापना | मानव संसाधन विकास | 14.02.2014 |
| 26 | मास – 44 | श्री हरिकृष्ण सिंह | बालिका इन्टर कॉलेज की स्थापना | मानव संसाधन विकास | 19.02.2014 |
| 27 | मास–14 | श्री निर्भय कुमार शाहाबादी | विद्यालय को उत्क्रमित करना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 28 | वि0प्र0–06 | श्री पौलुस सुरीन | विश्व विद्यालय की स्थापना | विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी | 17.02.2014 |
| 29 | वि0प्र0–04 | श्री जर्नादन पासवान | पॉलटेकनिक कॉलेज खोलना | विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी | 17.02.2014 |
| 30 | ख–06 | श्री अमित कुमार यादव | कोयला डिपो खोलना | खनन् एवं भूतत्व | 17.02.2014 |
| 31 | मास –10 | श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन | होस्टल का निर्माण करना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 32 | व–09 | श्री सौरभ नारायण सिंह | पार्क का निर्माण | वन एवं पर्यावरण | 19.02.2014 |
| 33 | मास–09 | श्रीमती सुधा चौधरी | शिक्षकों की सेवा लेना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 34 | मास–18 | श्री बन्ना गुप्ता | जैक बोर्ड का गठन | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 35 | मास–22 | श्री हेमलाल मुर्मू | प्राथमिक एवं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 36 | मास–35 | श्री बड़कुवार गागराई | शिक्षकों का पदस्थापन | मानव संसाधन विकास | 18.02.2014 |
| 37 | मास–23 | श्री सत्यानन्द झा(बाटुल) | शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 38 | मास–24 | श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी | सेवानिवृति का लाभ देना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 39 | मास–17 | श्री बन्ना गुप्ता | शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 40 | मास–25 | श्री संजय कुमार सिंह यादव | उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना | मानव संसाधन विकास | 17.02.2014 |
| 41 | वि0प्र0–08 | श्री अरूप चटर्जी | महाविद्यालय का निर्माण कराना | विज्ञान एवं प्रावैधिकी | 18.02.2014 |
| 42 | मास–32 | श्री रामदास सोरेन | बोर्ड का गठन | कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य | 17.02.2014 |
| 43 | ख–05 | श्री जयप्रकाश सिंह भोगता | पथ का निर्माण कराना | खनन् एवं भूतत्व | 17.02.2014 |
| 44 | मास–30 | श्री अमित कुमार यादव | निर्माण कार्य की जाँच कराना | मानव संसाधन विकास | 17.02.2014 |
| 45 | मास–08 | श्रीमती सुधा चौधरी | बालिका उच्च विद्यालय खोलना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ख–04 | श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी | सिकनी कोलयरी चालू कराना | खनन् एवं भूतत्व | 16.02.2014 |
| 47 | मास–03 | श्री समरेश सिंह | कठिनाईयों को दूर करना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 48 | मास–12 | श्री लक्ष्मण गिलुवा | भवन की मरम्मती | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 49 | उ–01 | श्री विनोद कुमार सिंह | शर्त्तों का पालन कराना | उद्योग | 16.02.2014 |
| 50 | व–06 | श्री माधवलाल सिंह | ग्रामीणों को सुविधा देना | वन एवं पर्यावरण | 17.02.2014 |
| 51 | वि0प्र0–05 | श्री पौलुस सुरीन | योग्यताधारी को प्रभारी प्राचार्य बनाना | विज्ञान एवं प्रावैधिकी | 17.02.2014 |
| 52 | मास– 11 | श्री फूलचन्द मंडल | विद्यालय को उत्क्रमित करना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 53 | मास–15 | श्री उमाकांत रजक | विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 54 | मास–41 | श्री कमलेश उराँव | बी0एड0 कॉलेज में परिणत करना | मानव संसाधन विकास | 18.02.2014 |
| 55 | मास–20 | श्री चन्द्रिका महथा | स्टेडियम का निर्माण कराना | कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य | 16.02.2014 |
| 56 | मास–04 | श्री समरेश सिंह | अनुदान लागू करना | मानव संसाधन विकास | 16.02.2014 |
| 57 | मास–40 | श्रीमती विमला प्रधान | प्रशिक्षण की व्यवस्था करना | मानव संसाधन विकास | 18.02.2014 |
| 58 | मास–45 | डॉ0 सरफराज अहमद | विद्यालय को उत्क्रमित करना | मानव संसाधन विकास | 19.02.2014 |
| 59 | मास–33 | श्री रामदास सोरेन | विद्यालय की स्वीकृति देना | मानव संसाधन विकास | 17.02.2014 |
| 60 | वि0प्र0–02 | श्री चन्द्रिका महथा | पॉलटेकनिक कॉलेज खोलना | विज्ञान एवं प्रावैधिकी | 16.02.2014 |
| 61 | व– 03 | श्री फूलचन्द मंडल | वनरक्षी के रूप में स्थायीकरण करना | वन एवं पर्यावरण | 16.02.2014 |
| 62 | मास–37 | श्री अरूप चटर्जी | छात्रावास में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना | कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य | 18.02.2014 |

राँची,
दिनांक–25 फरवरी,2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0....../

ज्ञाप संख्या– 751 /वि0स0, राँची, दिनांक– 22/2/14

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 22/02/14
(सुरेश कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-- 751 /वि0स0, राँची, दिनांक– 22/2/14 ई0।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय एवं अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रश्न) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 22/02/14
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

बहादुर/

अ(प)
22/02/14

(10)

**श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास–39**

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सत्र 2005–06 में राज्य के अन्य स्कूलों के साथ गोड्डा जिला के मध्य विद्यालय नोनबट्टा, पिंडराहाट, भटाँधा, बोहरा, ठाकुर नहान खटनई एवं अमलों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाया गया है। | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विद्यालयों में अब तक भवन एवं शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण पठन–पाठन बाधित है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन निर्मित है, जबकि प्रश्नाधीन अन्य दो विद्यालयों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् दो–दो ईकाई के अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। तत्काल शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था कर पठन–पाठन किया जा रहा है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में समूचित भवन एवं शिक्षक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | खंड–2 के उत्तर में भवन के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। उत्क्रमित विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय हेतु 11 शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं, जिसपर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

ह०/– 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
–झारखंड, राँची।

**झारखंड–सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक–12/स.5(1)–58/2014 358 / दिनांक 21-02-2014.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
–झारखंड, राँची।

**श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–02 का प्रश्नोत्तर**

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि आये दिन जंगली हाथियों के द्वारा जान–माल एवं फसल तथा आवास को क्षति पहुँचाते हैं;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि क्षति के अनुरूप लोगों को विभाग द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है;</td><td>अस्वीकारात्मक।<br>जंगली जानवरों के द्वारा जान–माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित/पुनरीक्षित दर पर किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>झारखण्ड सृजन के बाद से सितम्बर, 2013 तक जान–माल, फसल/मकान की क्षति की घटनाओं की संख्या एवं इसके एवज में भुगतान किये गये मुआवजा राशि का विवरण निम्नवत् है:–<br>
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>घटना का विवरण</th><th>संख्या</th><th>भुगतान किये गये क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रू0)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मृत व्यक्तियों के मामले</td><td>867</td><td>860.31</td></tr>
<tr><td>2</td><td>घायल व्यक्तियों के मामले</td><td>1509</td><td>248.51</td></tr>
<tr><td>3</td><td>फसल, पशु, मकान, अनाज की क्षति के मामले</td><td>71551</td><td>703.27</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>**कुल**</td><td>**1812.09**</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

**झारखण्ड सरकार**
**वन एवं पर्यावरण विभाग**

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित–21/2014– 995 व0प0, राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–289 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/14
( सुनील कुमार )
सरकार के उप सचिव

(12)

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के द्वादश (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 25.02.2014 को श्री सौरभ नारायण सिंह, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 –वि0प्रा0–03 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में एन0टी0पी0सी पॉवर इंजीनियरिंग के द्वारा हजारीबाग में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाना है। | 1. स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार से एम0ओ0यू0 नहीं होने के कारण कॉलेज का निर्माण नही हो पा रहा है। | 2. स्वीकारात्मक। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एन0टी0पी0सी0 पॉवर इंजीनियरिंग के साथ एम0ओ0यु0 कर हजारीबाग में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार रखती है, अगर हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ? | 3. सरकार द्वारा एन0टी0पी0सी0 के साथ MOU के Draft पर विचार विमर्श किया जा रहा है। |

**झारखण्ड सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–07/14 — 445 / राँची, दिनांक– 19.02.14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 341 दिनांक 16.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.2.14
(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

13

**दिनांक 25.02.14 को श्री निजामुद्दीन अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न मास–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री निजामुद्दीन अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीया मंत्री, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| | |

| क्र० | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि गिरीडीह जिला के राजधनवार, गावॉ एवं तिसरी प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं एवं खिलाड़ियों में खेल के प्रति हार्दिक लगाव पैदा करने हेतु एक भी संसाधन युक्त स्टेडियम नहीं है। | | राजधनवार प्रखंड में मिनि स्टेडियम एवं तिसरी प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। गॉवा प्रखंड में स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन से प्राप्त नहीं है जिसकी मांग की जा रही है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय प्रतिभावान खिलाड़ीगण ग्रामीण क्षेत्रों से आकर राज्य एवं राष्ट्र का नाम देश–विदेश में रौशन किये हैं। | | स्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खिलाड़ियों में खेल भावना को प्रेरित करने हेतु खण्ड (i) में वर्णित प्रखण्डों में संसाधन युक्त स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यो? | | क्रमांक एक और दो में उत्तर प्रतिवेदित है। |

**झारखण्ड सरकार**

**कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युबा कार्य विभाग**

ज्ञापांक: 1/वि०स०–8–107/2014/क० 368 राँची, दिनांक 24/02/14

**प्रतिलिपि:** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र० 392/वि०स० दिनांक 17.02.14 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

D:\N.K.Prasad\2013\Jan,13\Vidhansava Question.doc

(15)

| **श्री अरविन्द कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-31**<br>क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- | | |
|---|---|---|
| **क्रमांक** | **प्रश्न** | **उत्तर** |
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसांवा जिला अन्तर्गत ईचागढ़ प्रखण्ड के कस्तुरबा गांधी उच्च विद्यालय, विक्रमादित्य हाई स्कूल लेपाटांड़ एवं तीरूलडीह हाई स्कूल में चाहरदीवारी एवं शौचालय नही होने के कारण छात्र-छात्राओं, शिक्षकों समस्या का सामना करना पड़ता है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विक्रमादित्य उच्च विद्यालय, लेपाटांड़ एवं तेरूलडीह उच्च विद्यालय में दो-दो शौचालय चालू अवस्था में हैं। जबकि कस्तुरबा गांधी उच्च विद्यालय, ईचागढ़ में चार शौचालय चालू अवस्था में हैं। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध कराते हुए शौचालय एवं चाहरदीवारी बनवाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | शौचालय के संदर्भ में खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। तत्काल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् विद्यालयों को भवन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। चाहरदीवारी निर्माण का कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। |

[signature] 21/02/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-53/2014....357..../ दिनांक....21-02-2014..../

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**श्री माधव लाल सिंह, स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 25.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास–26 का उत्तरः–**

| प्रश्नकर्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री माधव लाल सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा | श्रीमती गीताश्री उराँव माननीया मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| | |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है। | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित गोमिया प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। | स्टेडियम निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की 04 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। संबंधित विभाग से अनापत्ति अद्यतन अप्राप्त है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 तथा 2 के आलोक में स्टेडियम निर्माण नहीं होने से युवा वर्ग खेलकूद से विमुख होते जा रहे है। | अस्वीकारात्मक है।<br>प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर खेलकूद का आयोजन उपलब्ध मैदानों में कराया जा रहा है। |
| 4. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड में उपलब्ध भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यो ? | उपायुक्त, बोकारो द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु चयनित सिंचाई विभाग की भूमि का अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात नियमानुकूल कार्रवाई की जायगी। |

**झारखण्ड सरकार**
**कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–108/2014/क ...367... /राँची, दिनांक 24/02/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 388 दिनांक 17.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2

**सरकार के उप सचिव**
कला, संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

F:\Brajesh 13-14\D.Sec\Vidhan Sabha\Copy 1(a) vs.doc

**श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–04 का प्रश्नोत्तर**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि वन विभाग ने राज्य में 31 अगस्त, 2013 को हरित दिवस के अवसर पर राज्य एवं केन्द्र सरकार के अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा पौधा रोपन करने के लिए निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए थे, जो वर्त्तमान में सुख गए हैं; | अस्वीकारात्मक है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि वन एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के कई जिलों विशेषकर राज्य के स्कूलों में पौधा रोपन का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन अति विशिष्ट व्यक्तियों सहित अन्य स्थानों पर लगाये गए पौधे में से अधिकांश सूख गए हैं; | अस्वीकारात्मक है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पौधे के देखभाल करने में विफल रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कारवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | चूँकि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर अस्वीकारात्मक है। अतएव पौधो के देखभाल करने में विफल रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता है। |

**झारखण्ड सरकार**
**<u>वन एवं पर्यावरण विभाग</u>**

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित–23/2014– 993 व0प0, राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–340 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/14

( सुनील कुमार )
सरकार के उप सचिव

17

श्री बड़कुँवर गागराई, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न–सं०–ख–8,

क्या माननीय मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– माननीय प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पं0 सिंहभूम जिला के नोवामुण्डी प्रखण्ड एवं मनोहरपुर प्रखण्ड के सारण्डा जंगल में अवैध खनन हो रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है; | उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इस जिले में लौह अयस्क/मैंगनीज के प्रायः सभी खनन पट्टे वन भूमि, वन (R.F / P.F) अन्तर्गत धारित है। अवैध खनन की सूचना प्राप्त होते ही उसकी रोकथाम की कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाती है। |
| 2 | यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अवैध खनन रोकने का विचार रखती, है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | प्रश्नोत्तर यथा खण्ड 1 के आलोक मे लागू नहीं। |

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–16/2014 230 /एम०, राँची, दिनांकः 24-2-14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–456 दिनांक 18.02.14 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

(18)

**श्री उमाकांत रजक, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ख0–01 का प्रश्नोत्तर**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में सेवारत कैटलगार्ड कर्मी वर्ष 2002 से न्याय के इंतजार में तड़प रहे हैं; | अस्वीकारात्मक है।<br>वस्तुस्थिति यह है कि वनरोपण योजना में समापन कार्य से योजना की समाप्ति तक (जो सामान्यतः 2 वर्ष 8 माह का होता है) वनरोपण के सुरक्षा हेतु पशुरक्षक का प्रावधान योजना में रहता है एवं योजना समाप्ति होते ही पशुरक्षक का कार्य भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह बिल्कुल अस्थाई केवल वनरोपण सुरक्षा मात्र से जुड़ा है, फलस्वरूप इसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि याचिका संख्या–W.P.(S) No.- 5350/2010 का न्यायालय आदेश प्राप्त होने के बावजूद ये न्याय से वंचित है; | याचिका संख्या– W.P.(S) No.- 5350/2010 पवन मिस्त्री एवं अन्य बनाम सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं अन्य में पारित दिनांक 11.07.2011 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस वाद में वन विभाग प्रतिवादी नहीं है और न ही वादियों का संबंध इस विभाग से है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कैटलगार्ड कर्मी को प्राप्त न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना एवं सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्ता सहित अन्य वंचित लाभ को मुहैया कराना चाहती है, हाँ तक कब तक नहीं, तो क्यों ? | प्रश्न नहीं उठता है। |

**झारखण्ड सरकार**
**<u>वन एवं पर्यावरण विभाग</u>**

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित प्रश्न– 33/2014–1003 व0प0, राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–286 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/14
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

19

**श्री विद्युत वरण महतो, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 25.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास–34 का उत्तरः–**

| प्रश्नकर्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री विद्युत वरण महतो, माननीय सदस्य विधान सभा | *श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीया मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |
| | |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा एवं चाकुलिया क्षेत्र में अब तक स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है जिसके कारण इस क्षेत्र के मेधावी युवा खिलाड़ियों को खेल प्रदर्शन एवं अभ्यास करने में कठिनाई हो रही है । | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण हेतु स्थान को चयनित कर भूमि उपलब्ध कर लिया गया है। | स्वीकारात्मक है। (वस्तुस्थिति यह है कि भूमि उपलब्धता का प्रतिवेदन उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 166/वि० दिनांक 19.02.2014 से प्राप्त हुआ है।) |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में खण्ड (1) में वर्णित दोनों स्थानों पर स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में यह सभंव नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**

**कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–104/2014/क ....361..... /राँची, दिनांक ...23/02/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 390 दिनांक 17.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**सरकार के उप सचिव**
कला, संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

F:\Brajesh 13-14\D.Sec\Vidhan Sabha\Copy 1(a) vs.doc

(20)

| श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-05<br>क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | | |
|---|---|---|
| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत डुमरी प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जरीडीह में 462 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत् है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या 438 है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के 25 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्र में एक भी उच्च विद्यालय नही है, जिस कारण इन ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इस विद्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, भण्डारो है, जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जरीडीह को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् निर्धारित नीति के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है तथा प्रश्नाधीन विद्यालय के 5 किलोमीटर की परिधि के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी। |

ह०/- 22/2/14
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-38/2014......365....../ दिनांक......22/02/2014......./
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 22/2/14
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(21)

श्री विद्युत वरण महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न–सं०–ख–07,

---

क्या माननीय मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– माननीय प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

| क्र० सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के खनन पदाधिकारी श्री रत्नेश कुमार सिन्हा विगत ग्यारह वर्षों से जमशेदपुर खनन कार्यालय में पदस्थापित हैं। | उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि श्री सिन्हा माह जनवरी, 2003 से माह जून 2005 तक, पुनः दिसम्बर, 2005 से माह जून 2011 तक पदस्थापित रहें हैं। माह जून, 2011 से सरायकेला–खरसावाँ में पदस्थापित हैं तथा माह नवम्बर 2012 से जिला खनन कार्यालय, जमशेदपुर के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि सिन्हा भूवैज्ञानिक (जियोलोजिस्ट) हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष 2005 के आदेशानुसार भूवैज्ञानिक को खनन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गयी है; | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि अप्रैल 2006 में भूतत्ववेत्ताओं द्वारा दायर याचिका को इस निदेश के साथ खारिज कर दिया गया कि सहायक खनन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन का उनका कोई हक नहीं बनता है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री सिन्हा को विरमित करते हुए जमशेदपुर खनन पदाधिकारी के पद पर नियमानुकूल किसी अन्य पदाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों? | उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के आलोक में सुयोग्य पात्रता रखने वाले पदाधिकारी की उपलब्धता होने पर श्री सिन्हा के स्थानान्तरण पर निर्णय लिया जायेगा। |

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–13/2014 229 /एम०, राँची, दिनांकः 24.2.14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–393 दिनांक 17.02.14 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.14

सरकार के उप सचिव

श्री लक्ष्मण गिलुवा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–02,

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– माननीय मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिले में आयरन और गोलामाईट लाईन स्टोन इत्यादि का अकूत भण्डार है; | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि इतने सारे माईन्स होने के बावजूद कोई बड़ा उद्योग जिला में नहीं लग रहा है, जिस कारण जिले में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। | उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है।<br>पश्चिम सिंहभूम जिला में लौह अयस्क पर आधारित दो स्पॉंज आयरन प्लान्ट स्थापित है एवं कुल 61 क्रशर प्लान्ट संचालित है। चूना पत्थर पर आधारित 03 लाईम स्टोन पाउडर प्लान्ट स्थापित है एवं ए०सी०सी० द्वारा क्लिंकर/सीमेंट निर्माण हेतु प्लान्ट स्थापित है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि उद्योग लगने से क्षेत्र के बेरोजगारी दूर होगी एवं पलायन पर अंकुश लगेगी। | उत्तर स्वीकारात्मक है।<br>कंडिका–2 दो में अंकित उद्योगों के अतिरिक्त नए उद्योगों की स्थापना होने से क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर प्राप्त होने की संभावना रहेगी। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेरोजगारों का पलायन रोकने के लिए उद्योग लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। |

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–10/2014 233 /एम०, राँची, दिनांकः 24.2.14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–285 दिनांक 16.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
सरकार के उप सचिव

**श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–05 का प्रश्नोत्तर**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के जपला–दंगवार पथ तथा जपला देवरी पथ के किनारे वृक्षारोपन का कार्य नहीं कराया गया है, | स्वीकारात्मक है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–I में वर्णित पथों में वृक्षारोपन नहीं होने से गर्मी के दिनों में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, | स्वीकारात्मक है। |
| 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के जपला–दंगवार पथ तथा जपला देवरी पथ में वृक्षारोपन कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | वित्तीय वर्ष 2011–12 में मनरेगा योजना के तहत जपला–दंगवार पथ के किनारे बांस गैबियन वृक्षारोपण के लिए प्राक्कलन तैयार कर वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल द्वारा प्रस्ताव उपायुक्त, पलामू को भेजा गया था।<br>पुनः वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा योजना के तहत बांस गैबियन वृक्षारोपण के लिए प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपायुक्त, पलामू को भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होते हीं मनरेगा के तहत जपला–देवरी पथ किनारे बांस गैबियन वृक्षारोपण कार्य संबंधित पथ के प्रशासी विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर कार्यान्वित किया जायेगा। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन एवं पर्यावरण विभाग**

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित–26 /2014– 996 व0प0, राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–380 दिनांक–17.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/14

( सुनील कुमार )
सरकार के उप सचिव

| श्री अनन्त प्रताप देव, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-01 | | |
|---|---|---|
| क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- | | |
| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत परियोजना उच्च विद्यालय, तोरेलावा तथा उच्च विद्यालय, हरिहरपुर जो +2 का दर्जा प्राप्त करने की सारी अर्हता को पूरा करता है, को अभी तक +2 का दर्जा नही हो पाया है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् नीति निर्धारित की गयी है कि 7-8 किलोमीटर की दूरी में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। |
| 2 | यदि उपर्युक्त प्रश्न खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त उच्च विद्यालयों को +2 का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके पश्चात् 8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा पर विचार किया जाना है। |

21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-37/2014 350 / दिनांक 21-02-2014 /

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

25

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

**श्री अन्नत प्रताप देव, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-मास-02**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत खरौंधी प्रखण्ड के करिवाडीह पंचायत के ग्राम हुसरु आदिवासी टोला में तथा कूपा पंचायत के ग्राम मेलवान केरवा टोला में अभी तक नव प्रा0 विद्यालय की स्थापना नहीं हो पायी है, जिससे वहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है; | वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अन्तर्गत बच्चों को 1 कि.मी. की दूरी सीमा के अन्दर प्राथमिक विद्यालय तथा 2 कि.मी. की दूरी सीमा में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने का प्रावधान है।<br>हुसरु आदिवासी टोला के निकट अवस्थित प्राथमिक विद्यालय बैरिया टोला की दूरी लगभग 1 कि.मी. एवं मेलवान केरवा टोला के निकट स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कूपा की दूरी लगभग 1 कि.मी. है। |
| 2. | यदि उपरोक्त प्रश्न खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त गॉवो में नव प्रा0 विद्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यो ? | इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 क उत्तर में सन्निहित है। |

21/2/14

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-8/93-10/2014-315 राँची, दिनांक- 21/2/14

**प्रतिलिपिः-** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 190, दिनांक 14.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

| श्री हरिकृष्ण सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास–44<br>क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– | | |
|---|---|---|
| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलातर्गत मनिका प्रखण्ड में बालिका इण्टर कॉलेज नही है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि बालिकाओं हेतु अलग से बालिका इंटर कॉलेज नहीं है, तथापि सह–शिक्षा के तहत् +2 उच्च विद्यालय, मनिका संचालित है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि मनिका प्रखंड के छात्राओं को इण्टर की पढ़ाई करने हेतु 25 कि0मी0 दूर लातेहार जाना पड़ता है जिस कारण वी0पी0एल0 परिवार की छात्राओं को दूरी होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाती है। | इस खंड का उत्तर खंड–1 में सन्निहित है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनिका में बालिका इण्टर कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् सह–शिक्षा की व्यवस्था है। अतः अलग से बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

ह0/ 22/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

**झारखंड–सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक–12/स.5(1)–61/2014....371..../ दिनांक 22/02/2014./

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 22/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

**श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-14**

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पिरटाँड़ प्रखंड पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी बाहुल्य के साथ-साथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ एक मात्र प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, चिरकी है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। गिरिडीह जिलान्तर्गत पिरटाँड़ प्रखंड पिछड़ा अल्पसंख्यक एवं आदिवासी बाहुल्य के साथ-साथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है अथवा नहीं, मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित नहीं है।<br>पिरटाँड़ प्रखंडान्तर्गत निम्नांकित उच्च विद्यालय प्रश्नाधीन विद्यालय के साथ-साथ अवस्थित हैं :-<br>1.राजकीयकृत उच्च विद्यालय, कुम्हरलालो<br>2.उच्च विद्यालय, बरियारपुर, खुखरा<br>3. प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, हरलाडीह<br>4. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, विशनपुर<br>5. अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय, मधुवन |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित विद्यालय में लगभग 600/- (छः सौ) लड़की पढ़ती है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः छात्राओं की संख्या लगभग 400 है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित विद्यालय में +2 स्तर की पढ़ाई नही होने के कारण उक्त प्रखंड के लड़कियों को उक्त पढ़ाई हेतु 25 (पच्चीस) कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे लड़कियों को काफी परेशानी होती है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पीरटांड प्रखंड में +2 शिक्षा हेतु +2 उच्च विद्यालय, कुम्हरलालो है, जिसकी दूरी पीरटांड से लगभग 10 किलोमीटर है। इस विद्यालय में लड़कियां पढ़ाई करती हैं। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड (1) में वर्णित विद्यालय में +2 स्तर में उत्क्रमित कर पढ़ाई का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके पश्चात् 8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा पर विचार किया जाना है। |

(हस्ताक्षर) 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-33/2014......354........../ दिनांक 21-02-2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(28)

**तृतीय झारखण्ड विधान सभा का त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 25.02.2014 को श्री पौलुस सुरीन, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–वि0प्रा0–06 का उत्तर सामग्री :–**

---

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय वर्ष 2009–10 में लिया गया है। | 1. स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना अभी तक नहीं किया गया है। | 2. स्वीकारात्मक। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, तो कबतक नहीं तो क्यों ? | 3. झारखण्ड प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय विधेयक प्रक्रियाधीन है। |

**झारखण्ड सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक--वि0प्रा0 / वि0स0–09 / 14 — 472 / राँची, दिनांक– 20.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 386 दिनांक 17.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

भगत 20.2.14
(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

**तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 25.02.2014 को श्री जनार्दन पासवान, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 –वि0प्र0–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

---

| प्रश्न | | उत्तर | |
|---|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि चतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड हंटर गंज चतरा प्रतापपूर में पोलिटेकनिक कॉलेज नहीं रहने से वहॉ के स्थानीय छात्र–छात्राओं को तकनिकि शिक्षा प्राप्त करने हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है, | 1. | स्वीकारात्मक। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थलों पर पोलिटेकनिक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तों क्यों ? | 2. | भारत सरकार के सहयोग से चतरा जिले में राजकीय पोलिटेकनिक के निर्माण का निर्णय लिया गया है।<br>उपायुक्त, चतरा द्वारा ग्राम–कठौतियॉ, थाना नं0–189, रकवा–10.15 एकड़ भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसके अधिग्रहण के लिए राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। |

**झारखण्ड सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**
<u>नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची</u>

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–10/14 — 471 / राँची, दिनांक– 20.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 387 दिनांक 17.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20-2-14
**(चन्द्रनाथ भगत)**
सरकार के अवर सचिव

30

# झारखण्ड सरकार
## खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

**दिनांक 25.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ख०–6 का उत्तर।**

प्रश्नकर्त्ता का नाम
**श्री अमित कुमार यादव,**
स०वि०स०

उत्तरदाता का नाम
**श्री साईमन मराण्डी,**
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1– क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में घरेलू जलावन के रूप में कोयला का प्रयोग करने हेतु प्रखण्ड स्तर पर कोयला डिपो का लाइसेंस दिया जाता था, जो वर्ष–2002 से बंद है, | अस्वीकारात्मक है। वर्ष 1992 से कोयला पर से नियंत्रण समाप्त होने के पश्चात् लाइसेंस निर्गमन बंद है। |
| 2– क्या यह बात सही है कि कोयला डिपो बंद होने के कारण स्थानीय स्तर पर जलावन उपलब्ध नहीं होने से आम गरीब व्यक्तियों को घोर कठिनाई होती है, | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 3– यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में कोयला डिपो प्रखण्ड स्तर पर पुनः खोलने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ? | राज्य सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय भारत सरकार से जलावन कोयला आवंटन हेतु लगातार अनुरोध किया गया है जो अबतक अप्राप्त है। जबतक जलावन कोयला का आवंटन प्रारंभ नहीं होता है तबतक राज्य सरकार प्रखण्ड स्तर पर कोयला डिपो खोलने में असमर्थ है। |

ज्ञापांक :– खा0प्र0 5–10(विधान सभा)–24/2014 654 /राँची, दिनांक – 24.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या–395 वि०स०, दिनांक 17.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2013

सरकार के सचिव।

(31)

***श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 25.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास–10 का उत्तर:–***

| प्रश्नकर्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय सदस्य विधान सभा | *श्रीमती गीताश्री उराँव : माननीया मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |
| | |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्तरीय बॉलीबॉल प्रशिक्षण केन्द्र, राँची जिले के खलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैकलुस्कीगंज में चल रहा है। | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि यहाँ बॉलीबॉल प्रशिक्षणार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है जिससे प्रशिक्षणार्थियों को काफी कठिनाई हो रही है फलस्वरूप विभाग द्वारा हॉस्टल बनाने के लिए पत्राचार भी किया गया है। | स्वीकारात्मक है।<br>(खलारी अंचल अंतर्गत मौजाः कोनका, खाता नं० 26, प्लॉट नं०: 102, रकबाः 0.40 एकड़ भूमि पर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जा सकता है।) |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में बॉलीबॉल प्रशिक्षणार्थियों (बालक/बालिकाओं) के लिए हॉस्टल निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | हॉस्टल निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। भूमि हस्तांतरण के उपरान्त निर्णय लिया जायगा। |

**झारखण्ड सरकार**

**कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–106/2014/क ...360... /राँची, दिनांक ...23/02/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 297 दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/2/2

**सरकार के उप सचिव**
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

F:\Brajesh 13-14\D.Sec\Vidhan Sabha\Copy 1(a) vs.doc

(32)

**श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.14 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–09 का प्रश्नोत्तर**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के कनहरी पहाड़ के पास बायो डाईभरसिटी पार्क के निर्माण का निर्णय वर्ष–2012 में लिया गया है, | स्वीकारात्मक है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि बायो डाईभरसिटी पार्क का निर्माण वन एवं पर्यावरण विभाग, हजारीबाग के द्वारा किया जाना है, लेकिन अभी तक पार्क निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।<br>वस्तुस्थिति यह है कि कोडरमा–राँची नई रेल लाईन के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत स्वीकृति के शर्त्त सं0–4 में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने के आलोक में कनहरी पहाड़ की तलहटी में व्याघ्र सफारी एवं हिरण सफारी बनाया जाना था।<br>दिनांक 24.09.2012 को राज्य वन्य जीव पर्षद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के बदले बायोडायभरसिटी पार्क का निर्माण किया जाना है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्त्त सं0–4 में तद्नुसार संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बायो डाईभरसिटी पार्क का निर्माण अविलम्ब करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**<u>वन एवं पर्यावरण विभाग</u>**

ज्ञापांक–4/वि0स0तारांकित – 34/2014– 997 व0प0, राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–548 दिनांक–19.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/14

( सुनील कुमार )
सरकार के उप सचिव

33

**श्रीमती सुधा चौधरी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-09**

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा राज्य के उच्च विद्यालयों में पठन-पाठन को सुचारु बनाने के लिए घंटी के आधार पर अवकाश प्राप्त अथवा योग्यता धारी अनुभवी शिक्षकों से सेवा लेने का प्रावधान विचाराधीन है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि ऐसा विचार किया जा रहा था कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर घंटी आधारित शिक्षकों की व्यवस्था की जाय तथापि, निर्णय लिया गया है कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जाय। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य भर में उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उपलब्ध शिक्षक तथा शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर पठन-पाठन संचालित किया जा रहा है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्य के कई उच्च विद्यालय में एक-एक शिक्षक से पठन-पाठन का कार्य चल रहा है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि कतिपय विद्यालय में स्वीकृत बल के विरुद्ध एक ही शिक्षक पदस्थापित रह गये हैं, तथापि, प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गयी है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घंटी के आधार पर उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा लेने की विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | जैसा कि खंड-1 में अंकित किया गया है, नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

(हस्ताक्षर) 21/2/14
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-35/2014 352 / दिनांक 21-02-2014

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/2/14
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(34)

**श्री बन्ना गुप्ता, मा0स0 विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-मास-18 जो दिनांक-25.02.2014 को पूछा जाएगा।**

**क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -**

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर सामग्री |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में उच्चत्तर शिक्षा के संचालन हेतु जैक का गठन किया गया है ? | तथ्य यह है कि झारखण्ड राज्य में इंटरमीडिएट शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृति शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा की समाप्ति के स्तर पर परीक्षाओं का संचालन एवं इन परीक्षाओं के निमित पाठ्यक्रमों का निर्णारण, इंटरमीडिएट शैक्षणिक संस्थानों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों की प्रस्वीकृति हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजना एवं इन उद्देश्यों से संबंधित अन्य विषयों अथवा कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की स्थापना की गई है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य में जैक बोर्ड का गठन नहीं किए जाने से शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाये जाने एवं शिक्षा हित में निर्णय लिए जाने संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जैक बोर्ड के गठन का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों। | सरकार निश्चित तौर पर जैक बोर्ड के गठन का विचार रखती है एवं जैक बोर्ड के गठन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। |

**झारखण्ड सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-9/वि01-02/2014....55............/ रॉंची, दिनांक-....22.2.14..................../

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक-332 दिनांक-16.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/14

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

35

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

**श्री हेमलाल मुर्मू, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–22**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और कक्षा एक से पांच तक के प्राथमिक शिक्षकों तथा उर्दू शिक्षकों की 31 जनवरी, 2014 तक नियुक्ति करने का लक्ष्य निर्धारित था; | आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि कक्षा 6 से 8 तक के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पदों के अपग्रेडेशन के विवाद में है क्योंकि मैट्रिक प्रशिक्षित पदों को अपग्रेड करने की संचिका वित्त विभाग में लम्बित है; | अस्वीकारात्मक है।<br>वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के परामर्शानुसार पद संपरिवर्तन के प्रस्ताव पर प्रशासी पद वर्ग समिति की सहमति हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गई है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार प्राथमिक एवं उर्दू शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति करने एवं शिक्षकों के अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर शीघ्र आवश्यक स्वीकृति प्रदान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ? | इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक तथा उर्दू शिक्षक की नियुक्ति हेतु जिलों द्वारा आवेदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद संपरिवर्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

ह०/ 21/2
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– 8/93-09/13-313/ राँची, दिनांक– 21/2/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 335, दिनांक 16.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 21/2
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

36

| श्री बड़कुँवर गागराई, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास–35<br>क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | | |
|---|---|---|
| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिला के सभी उच्च विद्यालयों में स्वीकृत पद के अनुरुप शिक्षकों का पदस्थापन नही किया गया है। | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में पठन–पाठन कार्य अवरुद्ध हो गया है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक विद्यालयों के उच्च योग्यताधारी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी उच्च विद्यालयों में स्वीकृत पद के अनुरुप शिक्षकों के पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | शिक्षक की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

22/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
–झारखंड, राँची।

**झारखंड–सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक–12/स.5(1)–59/2014....367..../ दिनांक....22/02/2014.../

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
–झारखंड, राँची।

**श्री सत्यानन्द झा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-23**

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च विद्यालय, खैरबनी, उच्च विद्यालय, फतेहपुर, मध्य विद्यालय, नाला एवं उच्च विद्यालय, बागडेहरी आदि में विगत पांच वर्षो से शिक्षकों के नही रहने के कारण पठन-पाठन ठप पड़ गया है।</td><td>उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान में उक्त विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की स्थिति निम्नवत् है :-
<table>
<tr><th>विद्यालय का नाम</th><th>स्वीकृत पद</th><th>कार्यरत बल</th><th>वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् प्रतिनियुक्त अतिरिक्त शिक्षक</th></tr>
<tr><td>उच्च विद्यालय, फतेहपुर</td><td>10</td><td>03</td><td>01</td></tr>
<tr><td>उच्च विद्यालय, खैरबैनी</td><td>10</td><td>01</td><td>01</td></tr>
<tr><td>मध्य विद्यालय, नाला</td><td>13</td><td>05</td><td>03</td></tr>
<tr><td>उच्च विद्यालय, बागडेहरी</td><td>10</td><td>01</td><td>01</td></tr>
</table>
इन उपलब्ध शिक्षकों द्वारा पठन-पाठन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के पढ़ाई-लिखाई तथा उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे है।</td><td>उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि शिक्षकों की कमी है, तथापि उपलब्ध शिक्षकों द्वारा पठन-पाठन किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली या प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
</table>

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-42/2014....356..../ दिनांक....21-02-2014..../
प्रतिलिपिः-. अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(38)

**श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-25.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या मास-24**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय, डालटनगंज पलामू, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की संबंध ईकाई है। इस महाविद्यालय में सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय के द्वारा वेतन मद से किया जाता है, किन्तु इन्हें सेवानिवृति के पेंशनादि का लाभ नहीं मिलता है। | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस महाविद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद पेंशनादि का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग।**

ज्ञापांक 5/वि.-08/2014 303 / रांची दिनांक- 21.02.14 /

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-337 दिनांक-16.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

39

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

**श्री बन्ना गुप्ता, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–17**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया है, | स्वीकारात्मक। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात वर्ग 1 से 8 के लिए यह कानून लागू किया गया है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्रों के अनुपात में भारी अंतर है, | बाल अधिकार अधिनियम के अनुसार औसतन शिक्षक छात्र अनुपात औसतन 1:37 होना अपेक्षित है, जो राज्य में संप्रति 1:45 है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि राज्य में 13 प्रतिशत ऐसे विद्यालय है जहाँ एकमात्र शिक्षक है, | स्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षकों एवं छात्रों के अनुपात को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून के अनुरुप करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजन हेतु भी कार्रवाई की जा रही है। |

(हस्ताक्षर) 21/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– 8/93-15/14-310 /                                        राँची, दिनांक– 21/2/14

**प्रतिलिपिः–** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 333, दिनांक 16.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

40

| श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-25<br>क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | | |
|---|---|---|
| **क्रमांक** | **प्रश्न** | **उत्तर** |
| 1 | क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, सुल्तानी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नही किया गया है। | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित मध्य विद्यालय, सुल्तानी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नही होने से गरीब बच्चे उच्च विद्यालय की शिक्षा से वंचित हो रहे है। | उत्तर अस्वीकारात्मक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। मध्य विद्यालय, सुल्तानी से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय बभन्डी अवस्थित है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, सुल्तानी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर खण्ड-2 में सन्निहित है। |

22/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-51/2014 366 / दिनांक 22/02/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(41)

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 25.02.2014 को श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 –वि0प्र0–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| प्रश्न | | उत्तर | |
|---|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड में पोलिटेकनिक महाविद्यालय निर्माण हेतु भूमि के आवंटन उपरान्त भी आज दिनांक 13.02.2014 तक इस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, | 1. | स्वीकारात्मक। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब इस आवंटित भूमि पर उक्त महाविधालय निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | 2. | राजकीय पोलिटेकनिक निरसा के निर्माण हेतु ऐजेन्सी का चयन कर लिया गया है ऐजेन्सी से MOU करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। |

**झारखण्ड सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–12/14 — 470 / राँची, दिनांक– 20.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 454 दिनांक 18.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20.2.14
(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

42

झारखण्ड सरकार

## सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

**श्री रामदास सोरेन, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास – 32 से संबंधित प्रश्नोत्तर की सामग्री**

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य में "फिल्म विकास प्राधिकरण बोर्ड" गठित नही है | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि बिहार, बंगाल,उत्तर प्रदेश, उड़िसा, मध्यप्रदेश, एवं अन्य राज्यों में खण्ड (1) में वर्णित बोर्ड का गठन की जा चुकी है | प्रश्न झारखण्ड राज्य से संबंधित नही है। अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्यों से पत्राचार किया गया है, जवाब प्रतीक्षित है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्य में खण्ड(1) में वर्णित बोर्ड गठित नही होने से यहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं पर निर्मित फिल्मों एवं कलाकारों को उचित सम्मान नहीं मिलती है। | उत्तर अस्वीकारात्मक है। |
| 4 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार अन्य राज्यों की तर्ज पर "फिल्म विकास प्राधिकरण बोर्ड" का गठन झारखण्ड राज्य में भी करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों? | झारखण्ड राज्य में "फिल्म विकास प्राधिकरण बोर्ड" अथवा समकक्ष संस्था के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। |

ह०/
(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
झारखण्ड, राँची

**झारखण्ड सरकार**

**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**

ज्ञापांक 79 राँची, दिनांक 24.02.14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्र सं० 391 वि०स०, दिनांक 17.02.2014 के आलोक में 200(दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.14
उप सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
झारखण्ड, राँची

# झारखण्ड सरकार
## मानव संसाधन विकास विभाग

**श्री अमित कुमार यादव, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–30**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, बरकट्ठा का भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वार्डेन एवं अध्यक्ष द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है; | प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 305, दिनांक 21.02.14 द्वारा इस संबंध में उपायुक्त, हजारीबाग से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि घोर अनियमितता बरते जाने के कारण उक्त विद्यालय के भवन निर्माण कार्य घटिया एवं निम्न गुणवत्ता का हो रहा है; | इस खण्ड का उत्तर खण्ड–1 के उत्तर में निहित है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त विद्यालय भवन निर्माण की जाँच कराते हुए वार्डेन एवं अध्यक्ष के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इस खण्ड का उत्तर खण्ड–1 के उत्तर में निहित है। |

24/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

# झारखण्ड सरकार
## मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/व3-25/2014-342, राँची, दिनांक– 24/2/14

**प्रतिलिपिः–** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 375, दिनांक 17.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

45

**श्रीमती सुधा चौधरी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-08**

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखंड-नौडीहा बाजार में कस्तुरबा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय नही है, जबकि प्रत्येक प्रखंड में इसका प्रावधान है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। केन्द्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान के तहत् शैक्षणिक दृष्टिकोण से झारखण्ड राज्य के पिछड़े 203 प्रखण्डों में कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना वर्ग-6 से वर्ग-8 तक के पठन-पाठन हेतु की गयी है। इन्हीं विद्यालयों को राज्य योजना के तहत् राज्य सरकार ने वर्ग-9 से वर्ग-12 तक की पढ़ाई हेतु उत्क्रमित किया है। नौडीहा बाजार एक नया प्रखण्ड है। पुराना प्रखण्ड छतरपुर में कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय उपलब्ध है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखंड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तथा लड़कियों को पढ़ाई हेतु उ0वि0 नौडीहा बाजार अथवा 15 कि0मी0 दूर छत्तरपुर उ0 विद्यालय जाना पड़ता है। | नौडीहा बाजार प्रखण्ड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है या नहीं, मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित नहीं है।<br>बच्चियों की पढ़ाई हेतु सहशिक्षा के रूप में शून्य किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नौडीहा बाजार एवं 4 किलोमीटर की दूरी पर राजकीयकृत उच्च विद्यालय, नौडीहा बाजार अवस्थित है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि बालिका उच्च विद्यालय के अभाव में छात्राएँ शिक्षा से वंचित रह रही है। | उत्तर अस्वीकारात्मक है। खंड-2 के उत्तर में दर्शाये गये विद्यालयों में छात्रायें भी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करती हैं। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखंड में कस्तुरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है। |

22/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-31/2014......364....../ दिनांक....22/02/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(46)

श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–ख–04,

क्या माननीय मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

माननीय मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितम्बर, 2013 में लातेहार जिला के सिकनी कोलयरी पुनः चालू करने हेतु उद्घाटन किया था, | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।<br>वस्तु–स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा निगम के पक्ष में दिनांक 22.11.2013 को खनन पट्टा की स्वीकृति दी गयी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23.11.2013 को सिकनी विस्तारीकरण कोयला परियोजना का उद्घाटन किया गया। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि लापरवाह प्रशासनिक पदधिकारियों के कारण उत्खनन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे हजारों लोग बेरोजगार है, | उत्तर अस्वीकारात्मक है।<br>उक्त के क्रम में निबंधन दस्तावेज तैयार करने हेतु निगम को सूचित किया गया एवं द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर रूपये 1,80,78,500/–की मुद्रांक की आवश्यकता दर्शायी गई।<br>निगम द्वारा वांछित राशि की स्टाम्प की निकासी कर सारी औपचारिताएँ पूरी कर खनन पट्टा संविदा निस्तार हेतु जिला खनन कार्यालय, लातेहार में दिनांक 17.2.14 को जमा कर दिया गया है, जो वर्त्तमान में उपायुक्त, लातेहार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इसे अविलम्ब चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | सिकनी कोयला खदान में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची से consent to operate दिनांक 10.2.14 को प्राप्त हुई है, साथ ही खान सुरक्षा निदेशालय, राँची के कार्यालय में लीज बॉउन्ड्री Incorporate करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिस पर अनुमति प्राप्त होते ही उत्पादन प्रारंभ कर दिया जायेगा। |

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता०)–08/2014 231 /एम०, राँची दिनांक: 24-2-14

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झाररखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–339 दिनांक 16.2.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

(47)

**श्री समरेश सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-03**

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के स्थाई प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के ग्रेडिंग, अंगीभूतिकरण तथा घाटानुदान देने की प्रक्रिया सरकार के पास विचाराधीन है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1544 दिनांक 13.06.2012 द्वारा राज्य के स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों से प्राप्त डाटा की समीक्षा करने हेतु एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में विभाग द्वारा प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों में प्राप्त सुविधाओं के आधार पर उन्हें ग्रेडवद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। अंगीभूतिकरण अथवा घाटानुदान देने की कोई भी प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन नहीं है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि प्रक्रिया में देरी होने के कारण शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। | इस खण्ड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थाई प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों का अंगीभूतिकरण तथा घाटानुदान पर निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है। |

[signature] 21/02/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-39/2014 351 / दिनांक 21-02-2014 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

48

| श्री लक्ष्मण गिलुवा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-12 | | |
|---|---|---|
| क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | | |
| **क्रमांक** | **प्रश्न** | **उत्तर** |
| 1 | क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र में मारवाड़ी उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का भवन अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 201 दिनांक 20.02.2014 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन विद्यालय के भूतल, जिस पर 8 वर्ग कक्ष हैं तथा 1 हॉल है, जिसकी स्थिति संतोषप्रद है।<br>प्रथम तल में 4 क्लास रूम, 1 स्टाफ रूम, प्रयोगशाला कक्ष, लाईब्रेरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष अवस्थित है। इस प्रथम तल पर पानी जमाव के कारण छत की स्थिति खराब हो गयी है तथा छत एवं टूटी हुई खिड़की की मरम्मति की आवश्यकता है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। | जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिवेदन के अनुसर वर्त्तमान में ऐसी दुर्घटना की संभावना प्रतीत नहीं होती है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मारवाड़ी उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का भवन का मरम्मति करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को निदेशित किया जा रहा है कि वे अपने स्तर से प्रश्नाधीन विद्यालय के भवन की तकनीकी जांच कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समुचित कार्रवाई की जायेगी। |

(signature)
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-34/2014 369 / दिनांक 22/02/2014 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature)
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

49

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–1 की उत्तर सामग्री।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर सामग्री |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार और इलेक्ट्रोस्टील के मध्य वर्ष 2006 में एक एम0ओ0यू0 किया गया था। | अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः–<br>राज्य सरकार एवं मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टींग्स लि0 के साथ दिनांक–19.05.2004 को तुम्बागढ़ा, जिला–लोहरदगा के लिए एक एम0ओ0यू0 किया गया।<br>दिनांक–09.01.2007 को मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टींग्स लि0 के साथ चंदन केयारी ब्लौक, जिला–बोकारो के लिए एक एम0ओ0यू0 किया गया।<br>दिनांक–01.02.2008 को मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील इन्टीग्रेटेड लि0 के साथ चंदन केयारी ब्लौक, जिला–बोकारो के लिए एक एम0ओ0यू0 किया गया। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रोस्टील को एक विस्थापन व पुनर्वास नीति बनानी थी, जो राज्य की पुनर्वास नीति से उच्चतर हो, लेकिन अब तक इलेक्ट्रोस्टील में ऐसी कोई बेहतर नीति नहीं बनायी है। | दिनांक–19.05.2004 के एम0ओ0यू0 की कंडिका–5 (1) में उल्लेखित है कि–" The Government of Jharkhand appreciates that the M/s. Electro steel Castings Ltd. is a responsible corporate house with a high involvement in employees welfare and social development. The Government of Jharkhand, therefore, anticipates that M/s. Electrosteel Castings Ltd. will bring this philosophy to its proposed manufacturing plant at a Lohardaga in Jharkhand. For employment, preference will be given to the displaced persons subject to need and their possessing the necessary qualification.<br>दिनांक–09.01.2007 के एम0ओ0यू0 की कंडिका–5 में उल्लेखित है कि–" M/s Electrosteel Castings Limited shall be fully responsible for resettlement and rehabilitation of project affected families in terms of the extant Resettlement and Rehabilitation policy of the State Government. The State Government expects that M/s Electrosteel Castings Limited would chalk out and implement & policy in this regard which would be superior to the State policy."<br>दिनांक–01.02.2008 के एम0ओ0यू0 की कंडिका–5 में उल्लेखित है कि–" M/s Electrosteel Integrated Limited shall be fully responsible for resettlement and rehabilitation of project affected families in terms of the extant Resettlement and Rehabilitation |

| | | |
|---|---|---|
| | | policy of the State Government. The State Government expects that M/s Electrosteel Integrated Limited would chalk out and implement & policy in this regard which would be superior to the State policy."<br>कंपनी द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति बनाये जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।<br>झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति–2008 में प्रभावित परिवार से अभिप्रेत है कि "(i) एक ऐसा परिवार जिसके निवास का मूल स्थान या अन्य संपति किसी परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किये जाने या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन के द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है; अथवा<br>(ii) कोई कृषि या गैर कृषि श्रमिक, भूमिहिन व्यक्ति (जिसके पास कोई वासभूमि, कृषि भूमि अथवा, या तो वासभूमि अथवा कृषि भूमि नहीं है) ग्रामीण शिल्पकार, छोटे व्यापारी, स्व–नियोजित व्यक्ति, जो उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किये की तारिख से पूर्व कम से कम, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 (पन्द्रह) वर्ष एवं अनुसूचित क्षेत्र में 30 (तीस) वर्षो से अन्यून अवधि जो प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित हो, उस क्षेत्र में सतत् रूप से रह रहा हो या किसी व्यापार, कारोबार, पेशे या व्यवसाय में लगा हुआ हो और जो अपनी आजीविका अर्जित करने से वंचित हुआ हो या जिसे प्रभावित क्षेत्र में भूमि का अर्जन किये जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से विस्थापित होने के कारण अपने व्यापार, कारोबार, पेशे या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः वंचित होना पड़ा हो। |
| 3 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एम0ओ0यू0 के शर्तो की पालन कराने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ? | उपायुक्त, बोकारो / लोहरदगा द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनानुसार कंपनी द्वारा भू–अर्जन अधिनियम–1894 के अन्तर्गत भूमि का अर्जन नहीं किया गया है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उद्योग विभाग**

ज्ञापांक 257 / राँची, दिनांक 22-02-2014 /
01 / उ0वि0 / वि0स0–13 / 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–288 दिनांक–16.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/14
सरकार के अवर सचिव

(50)

**श्री माधवलाल सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–06 का प्रश्नोत्तर**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के चतरोचटी में वन विभाग का बीट ऑफिस है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–। में वर्णित चतरोचटी बीट ऑफिस हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल से संचालित होता है; | स्वीकारात्मक। |
| 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–। में वर्णित चतरोचटी बीट ऑफिस बोकारो जिला में पड़ता है लेकिन हजारीबाग जिला से संचालन होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है; | स्वीकारात्मक।<br>आवागमन की सुविधा, वनों की सुरक्षा एवं नियंत्रण तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रश्नगत बीट को हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के नियंत्रण में रखा गया है। उक्त प्रशासनिक ढाँचा भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्य नियोजना में समाहित है। |
| 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–। में वर्णित चतरोचटी बीट ऑफिस का संचालन बोकारो वन प्रमण्डल द्वारा कराकर ग्रामीणों को सुविधा देना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | कंडिका–3 के अनुसार। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन एवं पर्यावरण विभाग**

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित– 27/2014– 992 व0प0, राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–383 दिनांक–17.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/14

( सुनील कुमार )
सरकार के उप सचिव

तृतीय झारखण्ड विधान सभा का त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 25.02.2014 को श्री पौलुस सुरीन, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–वि0प्रा0–05 का उत्तर सामग्री :–

| प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या 783, दिनांक 31.03.2012 एवं संकल्प सं0–1330, दिनांक 20.06.2012 के कंडिका 9 तथा झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2013 (जिसे अधिसूचना सं0–2967 दिनांक 10.10.2013 द्वारा अधिसूचित किया गया है) के कंडिका–(झ)(1) के अनुसार एम0टेक0/पी0एच0डी0 अभियंत्रण डिग्री योग्यताधारी को ही पोलिटेकनिक के प्रभारी प्राचार्य बनाने का प्रावधान है। | 1. स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है पत्रांक–3657, दिनांक 24.12.2012 द्वारा आदित्यपुर पोलिटेकनिक में पदस्थापित प्रभारी प्राचार्य की योग्यता सिर्फ बी0टेक0 डिग्री ही है। | 2. स्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी0टेक0 डिग्री योग्यताधारी प्रभारी प्राचार्य, आदित्यपुर पोलिटेकनिक को अन्यत्र स्थानान्तरित कर एम0टेक0 डिग्री योग्यताधारी शिक्षक को आदित्यपुर पोलिटेकनिक का प्रभारी प्राचार्य बनाने का विचार रखती है यदि हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | 3. प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को विभागीय पत्रांक 3282 दिनांक 23.11.2013 द्वारा अधियाचना भेजी गई है। तत्काल वरीयता के आधार पर वरीय व्याख्याताओं से प्रचार्य का कार्य लिया जा रहा है। |

**झारखण्ड सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–11/14 –469 / राँची, दिनांक– 20.02.2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 385 दिनांक 17.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.14

(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

(52)

**श्री फुलचन्द मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-11**

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखंड अन्तर्गत गांधी स्मारक आदिवासी उच्च विद्यालय, यादवपुर में हजारों की संख्या में अनु0जा0 एवं अनु0जन0 जाति वर्ग के छात्र छात्राएँ शिक्षारत है। | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि यादवपुर एवं इसके आस-पास के लगभग 15 कि0मी0 की दूरी तक एक भी 10+2 विद्यालय तथा कॉलेज नही है। | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोविन्दपुर प्रखंड के गांधी स्मारक आदिवासी उच्च विद्यालय, यादवपुर को 10+2 में उत्क्रमित करना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके पश्चात् 8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा पर विचार किया जाना है। |

ह0/- 21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-32/2014 353 / दिनांक 21-02-2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(537)

| श्री उमाकान्त रजक, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-15<br>क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | | |
|---|---|---|
| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में सुगमता से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 10 कि0मी0 की परिधि में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में स्वीकृति दी गई है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् नीति निर्धारित की गयी है कि 5 किलोमीटर की परिधि में एक उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इस नीति के तहत् चरणबद्ध तरीके से उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं शिक्षकों की कमी के कारण बहुत से विद्यालयों मे पढ़ाई शुरू नही हो पायी है और जहाँ पढ़ाई जारी है, वहाँ अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का भविष्य पढ़ाई के अभाव में अंधकारमय होता प्रतीत हो रहा है। | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् उत्क्रमित 894 एवं राज्य योजना के तहत् उत्क्रमित 338 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में उच्च योग्यताधारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर पठन-पाठन संचालित किया जा रहा है तथा इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं शिक्षक/पारा शिक्षक की नियुक्ति कर छात्र/छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के पद सृजित किये गये हैं तथा इन पदों के विरुद्ध नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। |

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-36/2014....355..../ दिनांक....21-02-2014..../

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(54)

# झारखण्ड सरकार
## मानव संसाधन विकास विभाग

**श्री कमलेश उराँव, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–41**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि गुमला जिला मुख्यालय स्थित टीचर ट्रेनिंग स्कूल वर्ष 1992 से बन्द है, जिसमें अभी भी 8 कर्मी कार्यरत है जिन्हें वेतन भुगतान किया जा रहा है; | आंशिक स्वीकारात्मक। <br> महाविद्यालय में कुल 7 कर्मी पदस्थापित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता नहीं मिलने के कारण यहां द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण में नामांकन नहीं लिया जा रहा है। किन्तु अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण का एक केन्द्र यह महाविद्यालय भी है। <br> प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डायट (महिला), गुमला के पत्रांक 21, दिनांक 25.03.13 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को आवश्यक कागजात उपलब्ध कराते हुए मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय का उपयोग बी0एड0 कॉलेज के रूप में किया जा सकता है; | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा B.Ed. College एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (डायट)/प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित किये गये है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डायट (महिला), गुमला B.Ed. College के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करता है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार गुमला टीचर ट्रेनिंग स्कूल को बी0एड0 कॉलेज में परिणत करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों, | संप्रति सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। |

(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-8/93-19/2014-340 राँची, दिनांक- 24/2/14

**प्रतिलिपिः-** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 459, दिनांक 18.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

55

**दिनांक 25.02.14 को श्री चन्द्रिका महथा, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न मास–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री चन्द्रिका महथा, माननीय सदस्य विधान सभा | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीया मंत्री, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| | |

| क्र० | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि गिरीडिह जिला के जमुआ एवं देवरी प्रखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक भी स्टेडियम नहीं है। | 1. | अस्वीकारात्मक। जमुआ प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम जग्रनाथडीह में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रस्तरीय खिलाड़ियों का एक समूह ग्रामीण क्षेत्रों से आये है, एवं भविष्य में आते रहेंगे। | 2 | स्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ एवं देवरी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित करने हेतु स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक और नहीं, तो क्यों? | 3 | देवरी प्रखंड में स्टेडियम निर्माण के संबंध में उपायुक्त से प्रस्ताव मांगा गया है। |

**झारखण्ड सरकार**

**कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक: 1/वि०स०–8–103/2014/क० 365 राँची, दिनांक 23/02/14

**प्रतिलिपि:** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक ज्ञाप सं० प्र० 342/वि०स० दिनांक 16.02.14 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

D:\N.K.Prasad\2013\Jan,13\Vidhansava Question.doc

56

**श्री समरेश सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-25.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या मास-04**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के 56 स्थाई डिग्री संबंध महाविद्यालयों के अंगीभूतिकरण/घाटानुदान/विशेष अनुदान हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच समिति के रिपोर्ट पेश कर दिये जाने के बावजूद भी विभाग के पास विगत 5 माह से लंबित है। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।<br>स्थायी संबंद्धता प्राप्त 46 महाविद्यालयों के समस्याओं के समाधान के लिए गठित जाँच समिति की रिर्पोट दिनांक 31.10.2013 को विभाग को उपलब्ध कराया गया। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उन 56 स्थाई संबंद्ध डिग्री महाविद्यालयों को अंगीभूतिकरण/घाटानुदान/विशेष अनुदान लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | स्थायी संबंद्धता प्राप्त 46 महाविद्यालयों के समस्याओं के समाधान के लिए गठित समिति से प्राप्त रिर्पोट की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरान्त नियामानुसार उचित निर्णय लिया जायेगा। |

**झारखण्ड सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग।**

ज्ञापांक 5/वि 2.-10/2014...304.../ रांची दिनांक-...21.02.14.../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-303 दिनांक-16.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

57

# झारखण्ड सरकार
## मानव संसाधन विकास विभाग

**श्रीमती विमला प्रधान, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–40**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला मुख्यालय में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिसमें सिर्फ पुरूष शिक्षाणर्थी ही पढ़ाई करते है | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार महिलाओं के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पर सीट सृजित करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सिमडेगा के सत्र 2014–16 में आधे सीट पर नियमानुसार महिलाओं का नामांकन लिया जायेगा। |

ह० 24/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

# झारखण्ड सरकार
## मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-8/93-2014-343 राँची, दिनांक– 24/2/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 461, दिनांक 18.02.14के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 24/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(58)

| डा0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-45<br>क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | | |
|---|---|---|
| **क्रमांक** | **प्रश्न** | **उत्तर** |
| 1 | क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के गांडेय प्रखण्ड में निर्मला उच्च विद्यालय के 7 कि0मी0 के परिधि में कोई +2 उच्च विद्यालय नही होने से छात्राओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। | उत्तर स्वीकारात्मक है। परन्तु गांडेय प्रखण्ड मुख्यालय स्थित +2 उच्च विद्यालय, गांडेय संचालित है, जहां +2 सह-शिक्षा की व्यवस्था है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि सरकार का 7 कि0मी0 की परिधि में +2 विद्यालय बनवाने का प्रावधन है। | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करानी है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्मला उच्च विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 विद्यालय बनाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | प्रश्नाधीन निर्मला उच्च विद्यालय एक गैर सरकारी सहायता प्राप्त कोटि का अल्प संख्यक उच्च विद्यालय है। इस कोटि के विद्यालय का उत्क्रमण का प्रावधान नहीं है। |

(हस्ताक्षर) 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

**झारखंड-सरकार**
**मानव संसाधन विकास विभाग**

ज्ञापांक-12/स.5(1)-62/2014......370....../ दिनांक 22/02/2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/2/14

**संयुक्त सचिव,**
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

59

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

**श्री रामदास सोरेन, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–33**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–** | **श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार** |
| 1. | क्या यह बात सही है कि घाटशिला विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा अल्संख्यक एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि घाटशिला प्रखण्ड के पूर्वी माऊ भण्डार एवं प0 माऊ भण्डार पंचायत में एक भी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय नहीं है; | स्वीकारात्मक। किन्तु पूर्वी मऊ भण्डार पंचायत के बच्चों को 1 कि.मी. के दायरे में प्राथमिक विद्यालय दयाराम जैन एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, धरमबहाल की सुविधा प्राप्त है। उसी प्रकार पश्चिमी मऊ भण्डार पंचायत के बच्चों को 1 कि.मी. के दायरे में मध्य विद्यालय, दुमांगडुमरी, जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, की सुविधा प्राप्त है।<br>उपर्युक्त दोनो पंचायत के बच्चों को 3 कि.मी. की परिधि में मारवाड़ी हिन्दी उच्च विद्यालय घाटशिला, बी.डी.एस.एल. बालिका उच्च विद्यालय, घाटशिला एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बनकाटी की सुविधा प्राप्त है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि खण्ड (ii) में वर्णित पंचायत में विद्यालय नहीं होने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को 10 (दस) कि0मी0 दूरी तय कर पढ़ाई हेतु जाना पड़ता है; | अस्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड (ii) में वर्णित पंचायत में विद्यालय की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर खण्ड–1 के उत्तर में निहित है। |

24/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-8/93-14/14-344 राँची, दिनांक- 24/2/14

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 377, दिनांक 17.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

60

**तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 25.02.2014 को श्री चन्द्रिका महथा, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 –वि0प्र0–02 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन :–**

---

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ एवं देवरी प्रखण्ड में तकनिकी शिक्षा हेतु एक भी सरकारी पॉलटेक्निक कॉलेज नहीं है, | 1. स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि जमुआ एवं देवरी प्रखण्ड के तकनिकी शिक्षा प्राप्त करने वाले ईक्षुक निर्धन एवं मेघावी छात्र/छात्राऐं पॉलटेक्निक कॉलेज के आभाव में तकनिकी शिक्षा से वंचित होने को विवश है, | 2. अशंतः स्वीकारात्मक। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवरी एवं जमुआ प्रखण्ड में पॉलटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तों क्यों ? | 3. वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर में राजकीय पोलिटेकनिक के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया है। |

**झारखण्ड सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–06/14 —— 449/ राँची, दिनांक– 19.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 287 दिनांक 16.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[signature] 19.2.14
(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

61

**श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–व०–03 का प्रश्नोत्तर**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में वन पशु रक्षक एवं दैनिक मजदूरों से वनरक्षी के रूप में वन प्रमंडल के अधीन विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा सत्र 1985 से कार्य लिया जा रहा है; | अस्वीकारात्मक है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में वर्तमान में लगभग 162 पशुरक्षक वर्ष, 2000 से स्थायीकरण की मांग करते आ रहे हैं, परन्तु अभी तक इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है; | वनरोपण योजना में समापन कार्य से योजना की समाप्ति तक (जो सामान्यतः 2 वर्ष 8 माह का होता है) वनरोपण के सुरक्षा हेतु पशुरक्षक का प्रावधान योजना में रहता है एवं योजना समाप्ति होते ही पशुरक्षक का कार्य भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह बिल्कुल अस्थाई केवल वनरोपण सुरक्षा मात्र से जुड़ा है, फलस्वरूप इसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। |
| 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार वन पशु रक्षक एवं दैनिक मजदूरों को वनरक्षी के रूप में स्थायीकरण कर नियोजन देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | प्रश्न नहीं उठता। |

**झारखण्ड सरकार**
**<u>वन एवं पर्यावरण विभाग</u>**

ज्ञापांक–वि०स०तारांकित–22/2014– 994 व०प०, राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं०–290 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/14

( सुनील कुमार )
सरकार के उप सचिव

(62)

**दिनांक 25.02.14 को श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न मास–37 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य विधान सभा | श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीया मंत्री, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| | |

| क्र० | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत मैथन स्पोर्टस हॉस्टल को 34वीं राष्ट्रीय खेल के लिए बनाया गया था और खेल के समापन उपरांत यह छात्रावास आज दिनांक 13.02.2014 तक लगातार बंद है, एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पहुँच चुका है। | 1. | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त आधारभूत संरचना को पी० पी० पी० मोडल में संचालित करने का प्रस्ताव भी आज दिनांक 13.02.2014 तक विभाग में विचाराधीन है। | 2 | स्वीकारात्मक। दिनांक 10.02.14 को सम्पन्न SAJHA के कार्यकारिणी की बैठक में MPL (Maithan Power Limited) से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अविलंब उक्त प्रस्ताव पर विचार कर इस आधारभूत संरचना को संचालित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यो? | 3 | यथा उपरोक्त। |

**झारखण्ड सरकार**

**कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांकः 364 राँची, दिनांक 23/02/14

**प्रतिलिपिः** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र० 464/वि०स० दिनांक 18.02.14 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

झारखण्ड, राँची।

D:\N.K.Prasad\2013\Jan,13\Vidhansava Question.doc